C.A. No. 1457/10

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि निर्णय दि० 28/7/10

न्यायालय- ए.के. द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिहोरा।

दा.प्र.क्र० 560/1988
संस्थित दि. 15.12.88

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन विभाग
सबरेंज बहोरीबंद जिला जबलपुर (म.प्र.)

अभियोजन

::विरुद्ध::

1 - रामजी वल्द शंकरिया उम्र 35वर्ष (फरार)
2 - दरियाव सिंह वल्द हरफूलसिंह उम्र 45वर्ष
3 - सादी वल्द रामस्वरूप उम्र 22वर्ष (फरार)
4 - प्रेम वल्द दरियाव उम्र 22वर्ष (फरार)
5 - दीनाबाई पति रामजी उम्र 30वर्ष (फरार)
6 - भागवती उर्फ शांतिबाई पति दरियाव उम्र 28वर्ष।
7 - राजवती पति प्रेम लोड़े उम्र 19वर्ष (फरार)
8 - संजोबाई जोजे उम्र 19 वर्ष (फरार)
9 - सुखलाल वल्द दसई राम उम्र 35वर्ष (निर्णीत दि. 27.1.09)

क्रमांक 1 से 9 तक के सभी निवासी- गोरहा थाना सिहोरा, हालमुकाम क्रमांक 2 व 6- समाड़खा मंडी जिला पानीपत (हरियाणा)

10 - ओंकार प्रसाद वल्द राघवशरण चौबे सा किन- सिरमौर जिला रीवा। (निर्णीत दि. 27.1.09)

11 - डेल्लसिंह पिता धनसिंह मरावी उम्र 54 वर्ष। (निर्णीत दि. 29.5.03)

आरोपीगण

उपस्थिति :- वन विभाग की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री मंजुला श्रीवास्तव।

आरोपीगण द्वारा - श्री पी.डी. पाठक अधिवक्ता

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

CANCELLED

:: निर्णय ::

(आज दि०-28.7.10 को घोषित)

1- इस प्रकरण में आरोपी दरिया के विरुद्ध धारा-9, 39 (सहपठित धारा-5) एवं आरोपिया भागवती उर्फ शांति के विरुद्ध धारा 9 (सहपठित धारा-5) एवं 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस आशय का दण्डनीय आरोप है कि, दि. 28-29/7/1988 की दरम्यानी रात घुटेहा बीट परिक्षेत्र बहोरीबंद में उन्होंने अन्य सह आरोपीगण के साथ मिलकर अनुसूची एक के दुर्लभ वन्य प्राणी शेर का अवैध रूप से शिकार किया तथा सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना वन्यप्राणी शेर के मृत शरीर के अवशेष (ट्राफी) रखा, जिन्हें आरोपी दरिया के आधिपत्य से जप्त किया गया तथा आरोपिया भागवती बाई ने वन्य प्राणी शेर का अवैध रूप से शिकार किये जाने में सहयोग प्रदान किया।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि, आरोपी क्रमांक-1 लगायत-8 विचारण के दौरान फरार हो गये। अतः उनके विरुद्ध धारा-299 द.प्र.सं. की कार्यवाही किया जाकर उन्हें फरार घोषित किया गया। निर्णय दिनांक-29.5.03 के अनुसार आरोपी डेलनसिंह को दोषमुक्त किया गया एवं निर्णय दिनांक-27.1.09 के अनुसार आरोपी ओंकार को दोषमुक्त एवं आरोपी सुखलाल को दोषसिद्ध किया जा चुका है। आरोपी क्रमांक-2 दरिया एवं आरोपी क्रमांक-6 शांति बाई उर्फ भागवती को श्री डी.एस.श्रीवास्तव उपवन क्षेत्रपाल कटनी द्वारा दिनांक 28.3.09 को गैरम्यादी (स्थायी) वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं यह निर्णय आरोपी दरिया एवं शांति उर्फ भागवती बाई के विरुद्ध किया जा रहा है। अन्य अनुपस्थित आरोपीगण क्रमांक-1, 3 लगायत 5 एवं क्रमांक-7 व 8 के विरुद्ध प्रकरण लंबित रहेगा।

3- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 28-29/7/88 की दरम्यानी रात ग्राम घुटेहा जंगल, परिक्षेत्र बहोरीबंद में आरोपी क्रमांक-1 लगायत-8 द्वारा फंदा लगाकर दुर्लभ वन्यप्राणी -

लगातार..2

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

सत्य प्रतिलिपि



दा.प्र.क्रं. 569/1988

शेर का शिकार किया गया तथा उसका चमड़ा निकालकर कुछ मांस हड्डियां, चर्बी एवं अन्य अवशेष जमीन में गाड़ दिये गये। वन रक्षक ओंकार चौबे एवं ईश्वर सिंह द्वारा मिलकर आरोपीगण जो बहेलिया प्रजाति के थे, से चार सौ रुपये नकद एवं डेढ़ पाव वजनी चांदी की कंगरी (चूड़ी), दो नग लेकर आरोपी क्रमांक-1 लंगायत-8 को छोड़ दिया गया तथा उन्हें जंगल की सीमा से बाहर पहुंचाने में मदद व सहयोग प्रदान किया गया, जिसकी शिकायत थाना सिहोरा, थाना बहोरीबंद वन विभाग सिहोरा को प्राप्त होने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा की लिखित सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद द्वारा अपने सहयोगी वन कर्मियों की सहायता से विवेचना की कार्यवाही संपादित की गई एवं विवेचना की संपूर्ण कार्यवाही संपादित किये जाने के उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध आर.पी. पाण्डे द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध परिवादपत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक-15.12.88 को प्रस्तुत किया गया।

4 - आरोपी क्रमांक-2 दरियाब एवं आरोपी क्रमांक-6 भागवती उर्फ शांति बाई द्वारा आरोपित अपराध से अस्वीकार किये जाने पर विचारण किया गया। द.प्र.सं. की धारा-313 के तहत सामान्य परीक्षण किये जाने पर आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना एवं प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किये जाना बताया है।

5 - प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अभियोजन साक्षीगण सहायक संचालक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे (अ.सा. 1), शेख ईशाक (अ.सा. 2), फूलचंद उर्फ फुल्लु (अ.सा. 3) वन रक्षक दयाशंकर तिवारी (अ.सा. 4), डिप्टी रेंजर लखनलाल दुबे (अ.सा. 5), वनरक्षक सुरेश प्रसाद बर्मन (अ.सा. 6), मौजीलाल (अ.सा. 7), महेश (अ.सा. 8), अजयसैनी (अ.सा. 9), कोटवार श्यामलाल (अ.सा. 10), बद्रीप्रसाद (अ.सा. 11) एवं गोविंद प्रसाद (अ.सा. 12) का परीक्षण कराया गया है। पशु चिकित्सक डॉ. ए. बी. श्रीवास्तव एवं डॉ. ए. एन. श्रीवास्तव के वर्तमान -




CANCELLED

(Ad)

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

पते की जानकारी के अभाव में अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें उपस्थित कराये जाने में व्यक्त की गई असमर्थता के आधार पर उपरोक्त दोनों साक्षीगण के पूर्वतन लेखबद्ध कथनों को धारा-33 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंध के अनुसार ग्राह्य किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई ।

6 - प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि, क्या सुसंगत घटना दिनांक समय एवं स्थान पर आरोपीगण दरिया एवं भागवती उर्फ शांतिबाई द्वारा अन्य फरार सह आरोपीगण के साथ मिलकर वन्य प्राणी शेर का अवैध रूप से शिकार किया गया या शिकार में सहयोग प्रदान किया गया तथा आरोपी दरिया के आधिपत्य से वन्य प्राणी शेर के मृत शरीर के अवशेष (ट्राफी) अवैध रूप से रखे छुपाये जाने पर जप्त किया गया ?

::निष्कर्ष के कारण एवं आधार::

(विचारणीय प्रश्न के संबंध में)

7 - सहायक संचालक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे (अ.सा. 1) ने कथन किया है कि, घटना के समय वह वन परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद के पद पर पदस्थ था। दिनांक-29.7.88को वनरक्षक दयाशंकर तिवारी (अ.सा. 4) द्वारा 9 व्यक्तियों जिनमें चार पुरुष, चार-महिलाएं एवं एक लड़का सम्मिलित थे, से आठ नग लोहे के फंदे चार गठरियों में मांस लगी हुई हड्डियां जिन्हें शेर व लकड़बग्घा की होना बतायी गई थी, चार बर्तन में चर्बी जो वन्य प्राणी शेर एवं लकड़बग्घा की चर्बी होना बताया गया एवं लाठी जप्ती पत्रक (प्रपा. 2) के मुताबिक जप्त की गई । वनपाल लज्जा लाल दुबे द्वारा दिनांक 30.7.88 को आरोपी सुखलाल से शेर का गीला चमड़ा बरामद किया गया । उस चमड़े को उनके द्वारा नाप कर चमड़े को सुरक्षित करने एवं पकाने के लिये बहोरीबंद निवासी विशाली चमार को दिया गया जिसकी रसीद (प्रपी. 5) है (पूर्व में प्रदर्शित) जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

सत्य प्रतिलिपि

//3// दा.प्र.क्र0-569/1988

8- वन रक्षक दयाशंकर तिवारी (अ.सा.4) द्वारा पी.ओ.आर. क्रमांक 1186/25 दिनांक-29.7.88 (प्रपी.4) जारी किया गया। उपरोक्त जप्त की गई हड्डियों की जांच उसके द्वारा स्थानीय पशु चिकित्सक बहोरीबंद से कराई गई तथा उसके पश्चात हड्डियों को विधि विज्ञान प्रयोग शाला सागर एवं उनकी अनुशंसा पर पशु महाविद्यालय जबलपुर प्रेषित किया गया। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि, उसके द्वारा आरोपीगण रामजी लाल, प्रेमलाल, सादीराम, दानाबाई, दरिया भागवती बाई, राजवती बाई, संजो बाई एवं नोरंगिया के जुर्म स्वीकारोक्ति कथन लेखबद्ध किये गये तथा वनरक्षक डेलनसिंह, ओंकार चौबे, दयाशंकर तिवारी, सुरेश प्रसाद बर्मन, सुखलाल, फून्नू एवं कोदूलाल के कथन भी लेखबद्ध किये गये। वन रक्षक ओंकार प्रसाद चौबे से उसने चार सौ रूपये नकद एवं दो चांदी के कड़े जप्त किये। उनकी पहचान आरोपीगण से कराई गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपीगण सादीराम एवं प्रेम की निशानदेही पर उस स्थल का मौके पर निरीक्षण किया जहां शेर का चमड़ा छीला गया था एवं चांदी गड़ाई गई थी। उस स्थान पर अत्यंत दुर्गंध आ रही थी एवं मांस के टुकड़े पड़े हुये थे जिसका पंचनामा (प्रपी.6) (पूर्व से प्रदर्शित) उसने निर्मित किया। आरोपीगण के ठहरने के स्थान का भी निरीक्षण उसने मौके पर जाकर किया, जहां भी कीड़े एवं दुर्गंध मौजूद थी।

9- घटनास्थल का मौका नक्शा (प्रपी.7) साक्षी दयाशंकर तिवारी (अ.सा.4) ने स्वयं साक्षीगण के समक्ष निर्मित किया। जप्त किये गये दो नग चांदी के कड़े की तौल सोनी के माध्यम से करवाई गई, जिनका वजन 380 ग्राम पाया गया। साक्षीगण पूरनलाल, राजू, नन्हेलाल एवं रामस्वरूप एवं बसोरा के कथन परिक्षेत्र सहायक जमीलुद्दीन द्वारा उसकी उपस्थिति में लेखबद्ध किये गये। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि, उसने अच्छेलाल-







CANCELLED
CANCELLED

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

वासुदेव, जमील, भगवनदास सैनी, मोतीलाल, श्यामलाल, अजयकुमार, महेश प्रसाद पाण्डे एवं रघुनंदन प्रसाद तिवारी के कथन भी साक्षीगण के बताये अनुसार लेखबद्ध किये । आरोपीगण को उसके द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। प्रतिपरीक्षण के दौरान व्यापक रूप से पूछताछ किये जाने के बावजूद आरोपीगण की ओर से वन्य प्राणी शेर का चमड़ा एवं उसके मृत शरीर के अवशेष को जप्त किये जाने के तथ्य को चुनौती नहीं दी गई है । यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, जप्ती की कार्यवाही उसके समक्ष संपादित नहीं हुई है, बल्कि उसने जप्तीपत्रक पर सामाग्री प्राप्तकर्ता की हैसियत से हस्ताक्षर किये थे । किंतु इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि, आरोपीगण से पूछताछ किये जाने पर आरोपीगण ने मौके पर मौजूद अन्य लोगों की उपस्थिति में, ~~[illegible]~~ से चार गठरियों में बंधा हुआ मांस एवं हड्डियाँ वन्य प्राणी शेर एवं लकड़बग्घे की होना बताया था एवं शेर का चमड़ा साक्षी ने वनपाल लखन लाल दुबे द्वारा आरोपी सुखलाल से जप्त किये जाना बताया है ।

10 - डिप्टी रेंजर लखन लाल दुबे (अ.सा.5) ने भी यह बताया है कि, उसने सूचना प्राप्त होने पर घेराबंदी करके आरोपीगण को पकड़ा था। आरोपीगण के आधिपत्य से एक बोरा में शेर व लकड़बग्घे की हड्डियां एवं दूसरे बोरे में शेर मारने के औजार रखे हुये थे, आरोपीगण के पास लकड़बग्घे एवं शेर की चर्बी भी जप्त हुई थी एवं आठ लोहे के फंदे जिनमें चार छोटे एवं चार बड़े तथा दो बल्लम भी जप्त किये गये थे। हड्डियों का बोरा आरोपी दरिया के पास से जप्त किया गया था, जिसकी जप्ती की कार्यवाही दयाशंकर (अ.सा.4) द्वारा की गई थी । आरोपी सुखलाल की निशानदेही पर गौरहा के जंगल से पेड़ में टंगा हुआ वन्यप्राणी शेर का गीला चमड़ा जो खून से सना हुआ एवं ताजा था, गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक (प्र.पी. 3) के मुताबिक जप्त किया गया।

11 - डिप्टी रेंजर लखनलाल दुबे (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्पष्ट किया है कि, बल्लम और शेर की हड्डियां आरोपी दरिया से =

लगातार..4

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

सत्य प्रतिलिपि



-जप्त की गई थी । जप्ती की कार्यवाही गोरहा के जंगल में की गईथी । साक्ष्य के दौरान साक्षी द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति शेर का चमड़ा एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ जिसे सुखलाल की निशान देही पर जप्त कियागया था, एवं उक्त चमड़ा आरोपी दरिया द्वारा आरोपीसुखलाल को प्रदान किया गया था, अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया । उक्त चमड़ा स्वयं द्वारा जप्त किये जाना एवं जप्तीनामा (प्रपी.3) पूर्व से प्रदर्शित) निर्मित किये जाना बताया है । चमड़े को आर्टिकल(ए-9) से चिन्हित कियागया।

12 - वन रक्षक दयाशंकर तिवारी (अ.सा.4) ने भी अपनेसमक्ष आरोपी दरिया के पास कुल्लम व एक बोरा में लकड़बग्घे व शेर की हड्डियां जिनमें मांस लगा हुआथा तथा आरोपी सुखलाल से चमड़ा गवाहों की उपस्थिति में जप्त करके एवं जप्ती की कार्यवाही के आधार पर पी.ओ.आर. (प्रपी.4) पूर्व से प्रदर्शित) जारी किये जाना एवं आरोपीगण के आधिपत्य से वन्य प्राणी शेर व लकड़बग्घे की चर्बी दो प्लास्टिक के डब्बे व दो डिब्बी में, वन्य प्राणी लकड़बग्घे की हड्डियां एवं पूर्वजप्ती पत्रक (प्रपी.2) पूर्व से प्रदर्शित) के मुताबिक जप्त किये जाना बताया है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि, आरोपी दरिया एवं अन्यआरोपीगण ने यह बताया था कि, शेर का चमड़ा तथा चांदी के दो कड़े जिनका वजन लगभग डेढ़ पाव था, आरोपी सुखलाल को दिये गये थे । उक्त सामान एवं राशि सुखलाल को इस एवज में प्रदान की गई थी कि, वह शिकार के संबंध में किसी को जानकारी नहीं देगा तथा उन्हें जंगल से भाग जाने के लिये भी कहाथा ।

13 - दयाशंकर तिवारी (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में यहभी स्पष्ट कियाहै कि, उसे शिकार के संबंध में सूचना कार्यालय में मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई थी । घटना स्थल का पंचनामा (प्रपी.6), आरएम०टोपा०डे द्वारा निर्मित किया गया था एवं आरोपीदरिया के बताये अनुसार -

(हस्ताक्षर)
(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

-एक बोरे में शेर व लकड़बग्घे की हड्डियां भरे होने के संबंध में जानकारी होना बताया है। साक्ष्य के दौरान न्यायालय के समक्ष जप्तशुदा संपत्ति आठ लोहे के फंदे जिनका उपयोग वन्य प्राणियों के शिकार में किये जाना बताया गया है, प्रस्तुत किये गये जिन्हें आर्टिकल ﴾ए-1﴿ से चिन्हित किया गया। नायलोन व जूट की बोरियों में शेर व लकड़बग्घे की हड्डियां जिनका परीक्षण पशुचिकित्सक के माध्यम से पूर्व में कराया गया था जिन्हें आर्टिकल ﴾ए-2﴿ लगायत ﴾ए-5﴿ से चिन्हित कियागया। नायलोन का बोरा में रखी हुई दो एल्युमीनियम की डेकची जिनमें चर्बी भरी हुई थी तथा दो प्लास्टिक के डब्बे जिनमें चर्बी भरे हुये जप्त किये जाना बताया गया, भी प्रस्तुत किये गये जिन्हें आर्टिकल﴾ए-6﴿ एवं ﴾ए-7﴿ से चिन्हित किया गया। दो नग बल्लम, एक सब्बल व एक लाठी जिन्हें आरोपीगण से जप्त किये जाना बताया गया है, को आर्टिकल ﴾ए-8﴿ से चिन्हित किया गया। इस साक्षी ने जप्ती पत्रक ﴾प्रपी. 2﴿ पूर्व से प्रदर्शित﴿ के द्वारा उक्त सामाग्री आरोपी गण से जप्त किये जाना भी बताया है।

14- सुरेश वर्मा ﴾अ.सा. 6﴿, मौजीलाल ﴾अ.सा. 7﴿ महेशपाण्डे ﴾अ.सा. 8﴿ एवं अभय सैनी ﴾अ.सा. 9﴿ ने भी जप्ती कार्यवाही का समर्थन करते हुये आरोपीगण एवं अन्य फरार 6 आरोपीगण के संयुक्त आधिपत्य से तलाशी के दौरान पोटलियों में मांस लगी हुई हड्डियां, तबेले में चर्बी तथा पोटली में रखे हुये फंदे बल्लम दयाशंकर तिवारी ﴾अ.सा. 4﴿ द्वारा अपनी उपस्थिति में जप्त किये जाना बताया है तथा साक्षीगण ने इस तथ्य का भी समर्थन किया है कि, आरोपी सुखलाल द्वारा उनकी मौजूदगी में वन पाल लखनलाल दुबे ﴾अ.सा. 5﴿ को शेर का गीलाचमड़ा जप्त करायागयाथा जिसे जप्ती पत्रक ﴾प्रपी. 3﴿ के मुताबिक जप्त किया गया।

15- सुरेश प्रसाद वर्मा ﴾अ.सा. 6﴿ ने यह भी बताया है कि, आरोपी दरियाते फंदे से शेर का शिकार किये जाना एवं लाठी, बल्लम से पीटकर-

लगातार..5

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

सत्य प्रतिलिपि

CANCELLED

//5//                दा. प्र. क्र.-560/1988

-मार डालने के पश्चात उसका चमड़ा निकालकर सुखलाल को दिये जाना बताया है। मौजीलाल (अ.सा.7) ने भी यह बताया है कि, आरोपी दरिया से शेर की हड्डियाँ एवं उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शेर का चमड़ा जप्त किया गया। ~~(xxxx)~~ साक्षीगण सुरेश शर्मा (अ.सा.6), मौजीलाल (अ.सा.7), महेश पाण्डे (अ.सा.8) एवं अजय सैनी (अ.सा. 9) के कथनों से भी मौके पर आरोपीगण के द्वारा ~~(x)~~ वन्य प्राणी शेर के शिकार के संबंध में जानकारी दिये जाना एवं वन्य प्राणी शेर व लकड़बग्घे के शरीर के अवशेष माँस, हड्डियाँ व चर्बी आरोपी दरिया एवं अन्य सह आरोपीगण के आधिपत्य से तथा आरोपिया भागवतीबाई के आधिपत्य से मृत वन्यप्राणी शेर व लकड़बग्घे की चर्बी जप्त किये जाने का तथ्य समर्थित होता है।

16 -        कोटवार श्यामलाल (अ.सा. 10) ने भी घोषणापत्र (प्रपी. 14) पूर्व से प्रदर्शित) पंचों एवं स्वयं की उपस्थिति में आरोपीगण के आधिपत्य से वन्य प्राणी शेर व लकड़बग्घे की हड्डियाँ, चर्बी, लोहे के फंदे, बल्लम व लाठी जप्त किये जाने के संबंध में निर्मित किये जाना एवं दस्तावेज भागपर अपने हस्ताक्षर होना बताया है एवं प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि, आरोपीगण से पूछताछ वन विभाग कर्मियों द्वारा उसकी उपस्थिति में की गई।

17 -        बद्री प्रसाद दुबे (अ.सा. 11) ने वन विभाग आफिस (कार्यालय) में वन्य प्राणी के अवशेषों, फंदा एवं हथियारों के साथ आरोपीगण का फोटोग्राफ लिये जाना बताया है। फोटोग्राफ (प्रपी. 15) एवं निगेटिव (प्रपी. 16) है तथा इस साक्षी ने (प्रपी. 25) का कथन भी रेंजआफीसर को दिये जाना बताया है एवं (प्रपी. 25) के अ से अ भाग पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। गोविंद प्रसाद (अ.सा. 12) ने रेंज आफिस बहोरीबंद में आहूत किये जाने पर लगभग 18-20 वर्ष पूर्व चांदी के कड़ों का परीक्षण किये जाना एवं नाप-तौल के दौरान चांदी के कड़ों का वजन-

(हस्ताक्षर)
(ए. के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

लगभग तीन सौ या चार सौ ग्राम के आसपासपाये जाना बताया है । नापतौल पंचनामा (प्रपी. 8) पूर्व से प्रदर्शित (केससेस भागपर स्वयं के हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है ।

18 - शेख ईशाक (अ.सा. 2) ने मोहम्मद जमील के साथ मिलकर 20-22 वर्ष पूर्व बहेलियों द्वारा शेर का शिकार किये जाने की सूचना के संबंध में लिखित आवेदनपत्र (प्रपी. 1) वन परिक्षेत्र अधिकारी नहोरीबंद को दिये जाना बताया है । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि, शिकारियों ने शेर का चमड़ा अलग करके मांस पोटलियों में बांध लिया था। वन रक्षक औंकारचौबे व डेल्नसिंह ने शिकारियों से मिलकर 1200 रुपये नकद व आधा किलोग्राम वजन के चांदी लेकर छोड़ दिया था तथा जंगल से बाहर सुरक्षित ले जाने का प्रयास कर रहे थे किंतु प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने अपने समक्ष पंचनामा या जप्ती की कार्यवाही संपादित किये जाने का समर्थन न करते हुये वन्य प्राणी शेर से संबंधित किसी घटना की जानकारी न होना स्वीकार किया है एवं शिकार की सूचना के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किये जाने का भी खण्डन किया है । अतः इस साक्षी के परस्पर विरोधाभासी कथनों से शिकार की सूचना दिये जाने का तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ।

19 - पुरुषोत्तम उर्फ पुल्लू (अ.सा. 3) ने मात्र इस तथ्य का समर्थन किया है कि, लगभग बीस वर्ष पूर्व उसे अन्य लोगों से यह जानकारी प्राप्त हुई था कि, ग्राम गौरहा में शेर का शिकार 5-7 लोगों द्वारा किया गया था एवं पंजा व शेर का चमड़ा अपने पास रखा गया था, किंतु साक्षी ने स्वयं मौके पर जाकर शिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त न किये जाना बताया है । अतः इस साक्षी के कथन सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होने के कारण अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं । अतः इस साक्षी के कथनों से अभियोजन पक्ष को कोई बल प्राप्त नहीं होता है ।

(Sd)

(ए.के. द्विवेदी) लगातार..6

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

सिहोरा, जिला-जबलपुर

सत्य प्रतिलिपि





20 - डॉ.ए.बी.श्रीवास्तव जो पूर्व में (अ.सा. 19) के रूप में परीक्षित हुये थे, के पूर्वतन कथनों के मुताबिक जांच एवं निरीक्षण हेतु प्राप्त चमड़े का परीक्षण किये जाने पर उन्होंने उक्त चमड़े को वन्य प्राणी शेर का चमड़ा होने का कथन करते हुये चमड़े में नुकीले हथियार के संपर्क से चोटों के निशान मौजूद पाये जाना बताया है। परीक्षण प्रतिवेदन (प्रपी. 17) पूर्व से प्रदर्शित है तथा डा.एस.एन. श्रीवास्तव जो पूर्व में (अ.सा. 12) के रूप में परीक्षित हुये थे के कथनों के मुताबिक उनके द्वारा जांच कमेटी निर्मित कर परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद द्वारा प्रेषित हड्डियों की जांच किये जाने पर हड्डियां वन्य प्राणी शेर की या टाईगर प्रजाति के मांसाहारी जानवर की होना एवं उक्त हड्डियों को परीक्षण के समय तीन-चार माह पुरानी पाये जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में प्रतिवेदन 37 वर्ष के अनुभव के आधार पर जांच के पश्चात् दिये जाना कहा है। परीक्षण प्रतिवेदन (प्रपी. 19) (पूर्व से प्रदर्शित) है।

21 - आरोपीगण द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, बल्कि सामान्य परीक्षण के दौरान स्वयं को निर्दोष होना एवं प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किये जाना बताया गया है। अतः विश्वसनीय प्रमाण के अभाव में आरोपीगण का बचाव ग्राह्ययोग्य नहीं है। आरोपीगण के बचाव में अधिवक्ता श्री पी.डी.पाठक द्वारा यह तर्क किया गया है कि, अभियोजन कथानक स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य से समर्थित नहीं है। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद प्रतीत होती है। साक्षीगण के कथनों में भी समरूपता का अभाव है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित न होने के कारण आरोपीगण को संदेह का लाभ प्रदान किया जावे।

22 - आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त बचाव के परिप्रेक्ष्य में, प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के परिशीलन से यह विदित होता है कि, आरोपीगण के विरूद्ध प्रमुख रूप से यह अभियोग-

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

– है कि, उन्होंने अन्य सह आरोपीगण के साथ मिलकर दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणी शेर का शिकार किया या शिकार में सहयोग प्रदान किया एवं आरोपी दरियाव के आधिपत्य से वन्य प्राणी शेर की हड्डियां, चर्बी एवं शिकार में प्रयुक्त हथियार (वस्तुएं) पंजा, बल्लम एवं लाठी आदि जप्त की गई तथा आरोपित अपराध से बचने हेतु सह आरोपी सुखलाल को आरोपी दरियाव द्वारा मृत वन्यप्राणी शेर का चमड़ा छिपाये जाने हेतु प्रदान किया गया।

23 – यद्यपि घटना के सूचनाकर्ता मोहम्मद ईशाक (अ.सा.2) के परस्पर विरोधाभासी कथनों से घटना की सूचना वनपरिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद को प्रदान किये जाने का तथ्य समर्थित नहीं होता है, किंतु साक्षीगण राजेन्द्र प्रसाद (अ.सा.1), दयाशंकर तिवारी (अ.सा.4), लखनलाल दुबे (अ.सा.5), सुरेश प्रसाद शर्मा (अ.सा.6), मोतीलाल (अ.सा.7), महेश प्रसाद (अ.सा.8), अजयकुमार (अ.सा.9) एवं श्यामलाल (अ.सा.10) के कथनों से यह तथ्य सम्यक् रूप से प्रमाणित होता है कि, आरोपीगण को सुहार नदी के किनारे अन्य फरार सह-आरोपीगण के साथ वन्य प्राणी शेर के मृत शरीर के अवशेष अस्थियां, चर्बी तथा बल्लम व लाठी सहित ले जाते हुये पकड़ा गया एवं उनके आधिपत्य से जप्ती की कार्यवाही की गई। यद्यपि लाठी एवं बल्लम जप्त किये जाने के तथ्य के संबंध में साक्षीगण के कथनों में कतिपय भिन्नता विद्यमान होना विदित होती है, किंतु उक्त कार्यवाही 20-21 वर्ष पूर्व संपादित किये जाने के कारण तथ्य विशेष के संबंध में विस्मृति हो जाना मानवीय स्वभाववश स्वाभाविक है। अतः उक्त विसंगति तात्विक स्वरूप की होना विदित नहीं होती है।

24 – साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में वन्य प्राणी शेर की अस्थियां एवं चर्बी जप्त किये जाने के संबंध में संपादित कार्यवाही के समर्थन में किये गये कथनों में कोई तात्विक विसंगति या महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान होना विदित नहीं होता है। साक्षी लखनलाल (अ.सा.5) के कथनों–

लगातार..7

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

सत्य प्रतिलिपि



दा.प्र.क्र0-569/1988

- से यह तथ्य भी सम्यक् रूप से प्रमाणित होता है कि, आरोपी दरिया द्वारा चमड़ा सह आरोपी सुखलाल को प्रदान किया गया। वन्य प्राणी शेर का चमड़ा सह आरोपी सुखलाल की निशानदेही पर जंगल से ही जप्त किया गया। इस प्रकार आरोप दरिया के आधिपत्य से वन्य प्राणी शेर के मृत शरीर के अवशेष जप्त किये जाने का तथ्य सम्यक् रूप से स्थापित होता है। धारा-57 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के उपबंध के अनुसार जप्ती की कार्यवाही सम्यक् रूप से प्रमाणित होने एवं आरोपीगण द्वारा उनका खण्डन न किये जाने की स्थिति में अवैध रूप से मृत वन्य प्राणी शेर के अवशेष रखे जाने के संबंध में उपधारणा निर्मित होती है। चिकित्सीय साक्षीगण के कथनों से भी जप्तशुदा हड्डियां वन्य प्राणी शेर या टाईगर प्रजाति के जानवरों के होने का तथ्य सम्यक्रूप से प्रमाणित होता है।

25 - अतः अभिलेख पर विद्यमान समग्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विवेचन एवं साक्ष्य मूल्यांकन के आधार पर यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि, आरोपीगण दरिया एवं आरोपिया भागवती उर्फ शांतिबाई द्वारा घटना दिनांक की रात्रि में अन्य सह आरोपीगण के साथ मिलकर वन्य प्राणी शेर का अवैध रूप से शिकार किया एवं आरोपी दरिया के आधिपत्य से वन्य प्राणी शेर के मृत शरीर के अवशेष हड्डियां तथा शिकार में प्रयुक्त सामाग्री फंदे व बल्लम जप्त किये गये।

26- परिणामतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आरोपी दरिया एवं आरोपिया भागवती उर्फ शांति बाई के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः आरोपी दरिया को धारा-9 एवं 39(1) (ए) सहपठित धारा-5। तथा आरोपिया भागवती उर्फ शांतिबाई को धारा-9 सहपठित धारा-5। एवं 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।




(sd)

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

27 - आरोपीगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का होकर वारंट ट्रायल मामला है । अतः आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ समय के लिये स्थगित किया जाता है ।

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सिहोरा ।

पुनश्चः

28 - आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया । आरोपीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पी.डी.पाठक द्वारा निवेदन किया गया है कि, आरोपीगण आदतन अपराधी नहीं है, न ही उनके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर विद्यमान है तथा आरोपीगण विगत एक-डेढ़ वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः उपरोक्त परिस्थितियों पर सद्भावी रूप से विचार करते हुये आरोपीगण को दण्ड प्रदान करने में नरमी बरती जावे ।

29 - अभिलेख का अवलोकन किया गया । आरोपीगण द्वारा दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणी शेर जो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणी की श्रेणी में सम्मिलित है, का अन्य सह आरोपीगण के साथ मिलकर शिकार किये जाने या शिकार में सहयोग प्रदान किये जाने का अपराध कारित किया गया है । अतः अवैध शिकार के मामलों की प्रकृति को कठोरतापूर्वक हतोत्साहित किये जाने हेतु आरोपी दरिया को धारा-9 एवं धारा-39(3) सहपठित धारा-51 के तहत धारा-51(1) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के परंतुक के प्रावधान के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/-(दस हजार) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । आरोपी दरिया द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे तथा आरोपिया -

लगातार..8

(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर

सत्य प्रतिलिपि

//8// दा.प्र.क्रं0-569/1988

-भागवती उर्फ शांतिबाई जो लगभग साठ वर्षीय वृद्ध महिला है एवं विगत लगभग एक-डेढ़ वर्षों से अनवरत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है तथा उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि भी अभिलेख पर विद्यमान नहीं है, अतः मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर मामले की परिस्थितियों, न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि, अपराध की प्रकृति व चरित्र को ध्यान में रखते हुये तुरंत दण्डित करने के बजाय परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है। अतः यह आदेशित किया जाता है कि, यदि आरोपिया भागवती उर्फ शांतिबाई द्वारा तीन वर्ष की अवधि तक परिशांति कायम रखने, सदाचारी रहने, अपराध की पुनरावृत्ति न किये जाने तथा न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट या आहूत किये जाने पर दण्ड भुगतने हेतु उपस्थित रहने की शर्त सहित दस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जावे तो आरोपिया को परिवीक्षा का लाभ प्रदान करते हुये स्वयं के बंधपत्र पर रिहा किया जावे।

30 - आरोपीगण पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अतः उनके द्वारा न्यायिकअभिरक्षा में बिताई गई अवधि का समायोजन कारावासीय दण्ड में किया जावे। धारा-428 द.प्र.सं. के तहत प्रकरण में पृथक से निरोध तालिका निर्मित की जावे।

31 - प्रकरण में आरोपी क्रमांक-1 एवं 3 लगायत-5 तथा आरोपी क्रमांक-7 व 8 पूर्व से फरार हैं। अतः संपत्ति के निराकरण के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर विधिवत घोषित किया गया

(Sd)
28.7.10
(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सिहोरा

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(Sd)
28.7.10
(ए.के. द्विवेदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सिहोरा

दिनांक 28/07/2010

स्थान- सिहोरा

CANCELLED

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि-विभाग, सिहोरा

Excl. C.A. No 1457/10

28/7/10

29/7/10

[illegible] 5/8/10

[illegible] 28/7/10

[illegible] 4/8/10

[illegible]

[illegible] (6) [illegible] (7) [illegible]

[illegible] 5/8/10 5/8/10

[illegible]

88/-

Pb Pb